


कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

कमांक/
प्रति,

1685 / स.अ.भू.अ. / 2019

रायगढ़ दिनांक 20 / 12 / 2019

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर(छ.ग.)

विषय:-

220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गोरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण एवं प्रदर्स 'स' तथा फार्म-1 में प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ:-

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र कमांक का.अ./अ.उ.दा./निर्माण/संभाग 416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गोरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील रायगढ़ के ग्राम पाली, देलारी कक्ष कमांक 881 कुल प्रभावित रकबा 1.723 हे. राजस्व वनभूमि जो अभिलेख में छोटेझाड़, घांस व आरक्षित वन भू में है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लिनियर प्रकरण हेतु प्रदर्स 'स' एवं निर्धारित फार्म-1 में जानकारी चाही गई है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ के द्वारा विवरण प्रारूप में जानकारी प्रदाय की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीस राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गोरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 1.723 हे. के संबंध में प्रदर्स 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म-1 में जानकारी तैयार कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ. कमांक/
प्रतिलिपि:-

1685 / स.अ.भू.अ. / 2019

रायगढ़ दिनांक


कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)
/ / 20

1. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that (CSPTCL, Bilaspur) of forest land end total **02 kh.no.(total affected area 1.723 Hact.) Total 1.723 Hact.** Revenue forest land one forest land proposed to be diverted in favour of CSPTCL, Bilaspur for diversion of Forest Land in Raigarh / Pusour Tehsil it is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total **02 Kh.No. and one forest compartment 1.723** hectares (CSPTCL, Bilaspur) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....}.....to.....**3**.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Yashwant kumar)
District Collector
Raigarh



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/ 1688 /स.अ.भू.अ./2019
प्रति,

रायगढ़ दिनांक / /2019

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर(छ.ग.)

विषय:- 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी०सी० एस० लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रदर्स 'स' तथा फार्म-1 में प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
संदर्भ:- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./अ.उ.दा./निर्माण/संभाग/416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील खरसिया जिला रायगढ़ के ग्राम विंजकोट वन कक्ष क्रमांक 1183 आर. एफ. कुल प्रभावित रकबा 0.985 हे. राजस्व वनभूमि है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लिनियर प्रकरण हेतु प्रदर्स 'स' एवं निर्धारित प्रारूप फार्म-1 में जानकारी चाही गई है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया के द्वारा विहित प्रारूप में जानकारी प्रदाय की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी०सी० एस० लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 0.985 हे. के संबंध में प्रदर्स 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म-1 में जानकारी तैयार कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक/ 1688 /स.अ.भू.अ./2019
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दिनांक / /2019

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

1. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date 20/12/19**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (CSPTCL, Bilaspur) of forest land end total affected area **0.985 Hect.** Revenue forest land one forest land proposed to be diverted in favour of **CSPTCL, Bilaspur** for diversion of Forest Land in **Binjkot** Tehsil Kharsia it is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total and one forest compartment **0.985 hectares** (CSPTCL, Bilaspur) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....1.....to.....2.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Yashwanth kumar)
District Collector
Raigarh



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / प्रति 1684 /स.अ.भू.अ./ 2019

रायगढ़ दिनांक 20/12/2019

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर(छ.ग.)

विषय:- 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रदर्स 'स' तथा फार्म-1 में प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ:- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./अ.उ.दा/निर्माण/समाप्त/416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील तमनार एवं घरघोड़ा के ग्राम सराईपाली, भुईकुर्सी, हर्राडीह, छर्राटांगर, अमलीडीह, बैहामुड़ा, टेरम, फगुरम, तथा 829 (आर.एफ.) तमनार एवं 1260 (पी.एफ.) घरघोड़ा कुल प्रभावित रकबा 4.303 हे. राजस्व वनभूमि जो अभिलेख में छोटेझाड़, घांस व आरक्षित वन मद में दर्ज है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लिनियर प्रकरण हेतु प्रदर्स 'म' एवं निर्धारित प्रारूप फार्म-1 में जानकारी चाही गई है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा के द्वारा विहित प्रारूप में जानकारी प्रदाय की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी(रा.) घरघोड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित रकबा 4.303 हे. के संबंध में प्रदर्स 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म-1 में जानकारी तैयार कर आगकी और सादर सम्प्रेषित है।

संदर्भ:-उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक / प्रति 1684 A /स.अ.भू.अ./ 2019

रायगढ़ दिनांक

20/12/2019

1. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date 20/12/19

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (CSPTCL, Bilaspur) of forest land end total **22 kh.no.(total affected area 4.303 Hact.) Total 4.303 Hact.** Revenue forest land proposed to be diverted in favour of CSPTCL, Bilaspur for diversion of Forest Land in Gharghoda Tahsil Village Chharratagar, Amidih, Bhaimuda, Teram, Faguram, Tamnar Tahsil Village Saraipali, Bhuikuri, Harradih It is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total **22 Kh.No. and one forest compartment 4.303** hectares (CSPTCL, Bilaspur) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....}.....to.....}.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Yashwanth kumar)
District Collector
Raigarh


कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के०व्ही उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन तक 132 के०व्ही. डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ जिला में वनमण्डल के **ग्राम पाली, देलारी** गांव के राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन हेतु शासकीय वनभूमि 1.723 हे. वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की प्रभावित रकबा 1.723 हे. वन भूमि निरंक एवं राजस्व वनभूमि 1.723 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा क्रमशः **ग्राम पाली एवं देलारी** तहसील रायगढ़ में स्थित है, में तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक/11-9/98-एफ.सी.(पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आष्टिकल फाइबर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रेखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे. में)
1	पाली	निरंक	निरंक
2	देलारी	निरंक	निरंक
3	लाखा वन कक्ष क्रमांक 881 योग 3 ग्राम	निरंक	निरंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन राजस्व वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

- 4 संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति

 जिला-रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के.व्ही उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन तक 132 के.व्ही. डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ जिला में वनमण्डल के ग्राम बिंजकोट के राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन हेतु शासकीय वनभूमि 0.985 हे. वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि निरंक एवं/ राजस्व 0.985 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा कम्प्लैट ग्राम बिंजकोट तहसील खरसिया में स्थित है, में तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक/11-9/98-एफ.सी.(पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, ऑप्टिकल फाइबर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रैखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	बिंजकोट	खरसिया	निरंक	निरंक

प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताधीन राजस्व वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

- 4 संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
एवं

अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील तमनार एवं घरघोड़ा के ग्राम सराईपाली, भुईकुरी, हरीडीह, छर्राटांगर, अमलीडीह, बैहामुड़ा, टेरम, फगुरम, ग्राम के राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन हेतु शासकीय वन भूमि 4.303 वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की प्रभावित रकबा 4.303 हे. राजस्व वन भूमि एवं आरक्षित वनभूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सराईपाली, भुईकुरी, हरीडीह, छर्राटांगर, अमलीडीह, बैहामुड़ा, टेरम, फगुरम, में स्थित है। तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक/11-9/98-एफ.सी. (पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आष्टिकल फाइबर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रेखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

क.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
1	सराईपाली	तमनार	भोकोदोलो, चमरा, करिया व मिलन	0.270
2	भुईकुरी	तमनार	निरंक	निरंक
3	हरीडीह	तमनार	निरंक	निरंक
4	छर्राटांगर	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
5	अमलीडीह	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
6	बैहामुड़ा	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
7	टेरम	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
8	फगुरम	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
	योग 8 ग्राम	-	-	0.270

यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन राजस्व वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

- 4 संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
एवं

अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय तहसीलदार घरघोडा जिला-रायगढ (छ0ग0)

क्रमांक
प्रति,

1089 / स्टेनो / 2019

घरघोडा, दिनांक 8 / 08 / 2019

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
घरघोडा

- विषय:- 220 / 130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि0मी0 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन जांच प्रतिवेदन के संबंध में प्रतिवेदन भेजने बाबत।
- संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक 667 / वन0अधि0 / 2019 घरघोडा दिनांक 28 / 06 / 2019

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220 / 130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि0मी0 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण किया जाना है, जिसके लिए प्रभावित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर नक्शा, खसरा मय प्रतिवेदन चाही गई है।

उक्त संबंध में संबंधित हल्का पटवारियों से प्रभावित क्षेत्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन लिया गया, हल्का पटवारी ग्राम कारीछापर, फगुरम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पूर्व में मूल में संलग्न आपकी ओर भेजी जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है तथा हल्का पटवारी ग्राम छर्साटांगर, अमलीडीह, बैहामुडा एवं टेरम द्वारा प्रभावित क्षेत्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन पेश किया गया है, जो अग्रिम कार्यवाही हेतु मूल में संलग्न आपकी ओर सादर सम्प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार
घरघोडा

1950
19.8.19
R-1

Ar
13.8.2019
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
घरघोडा जिला रायगढ

प्रति,

श्रीमान लक्ष्मीधर महोदय
लक्ष्मीधर बरधोडा जि. रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- 230/130 के. बी. उपेन्द्र गेरवानी से मेमर्स
इरफान हेतु प्रस्तावित ली. एम. एम. करीछापर
तक लगभग 45 कि. मी. 132 के. बी. डी. सी. एम.
लाइन जांच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:- अनुविभागीय अधिकारी (ग) बरधोडा का पत्र
क्रमांक / 667 / जन सचिनियम / 2019 बरधोडा
दिनांक 26/06/2019

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में
बोका है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी
मर्यादित खिलामपुर द्वारा 230/130 के. बी. उपेन्द्र
गेरवानी से मेमर्स इरफान हेतु प्रस्तावित के सम्बन्ध
में ग्राम फुलम एवं करीछापर में ग्राम कोठार एवं
कम्पनी के व्यक्तियों एवं राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति
में मौका निरीक्षण किया गया मौके के अनुसार ग्राम
फुलम की भूमि खसरा नं. 531/1 रकबा 2.446 हे
शासकीय भूमि (घास मद्) में से 0.164 हे भूमि में
विद्युत तार गुजर रही है एवं ग्राम करीछापर में
खसरा नं. 209 रकबा 0.028 हे शासकीय भूमि (घास
मद्) के किनारे से विद्युत तार गुजर रही है

अतः जांच प्रतिवेदन

श्रीमान के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु सादर
सम्प्रेषित है।


पहिले 04
नर बरधोडा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)

प्रति

तहसीलदार महोदय

तहसील धरघोडा जिला-रायगढ़ (द.ग.)


विषय:- २३०/१३० क. व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी.एम.एम. कारीदापर तक लगभग ५५ कि.मी. १३२ के व्ही. डी.सी.एम. लाइन के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ:-

विषयान्तर्गत लेख है कि द.ग. राज्य विद्युत परीक्षण कंपनी मर्यादित लिलासपुर द्वारा २३०/१३२ के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी.एम.एम. कारीदापर तक ५५ कि.मी. १३२ के व्ही. डी.सी.एम. लाइन के संबंध में स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था उक्त आदेश के परिपालन में स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम धरघोडा प.ए.न.२० तह. धरघोडा जिला रायगढ़ (द.ग.) में स्थित भूमि ख.नं. ८६५ मद छोटे झाड़ का जंगल कुल रकबा १.८९५ में से ०.३७८ हे. , ख.नं. ९५१ मद सड़क कुल रकबा ०.५८७ में से ०.०२१ हे. , ख.नं. ९३२ मद घास कुल रकबा ०.१२५ में से ०.०६५ हे. , ख.नं. ७५६ मद घास कुल रकबा ०.०५७ में से ०.०१२ हे. ; ख.नं. ७५७ मद घास कुल रकबा ०.११३ में से ०.००५ हे. ख.नं. ७३५ मद पानी के नीचे कुल रकबा ०.२०६ में से ०.०५ हे. , ख.नं. २२९ मद घास कुल रकबा ०.१५० में से ०.०८१ हे. , ख.नं. ५६१/१ मद घास कुल रकबा १.१७६ हे. में से ०.०२७ हे. , ख.नं. ७९९/१ मद छोटे झाड़ का जंगल कुल रकबा २.८३७ में से ०.२२९ हे. भूमि व ख.नं. ८२२/१ मद घास कुल रकबा २.५९० हे. में से ०.१६२ हे. भूमि प्रभावित हो रही है ।
उक्त श्रीमान जी के समक्ष उक्त आदेश के परिपालन में प्रतिवेदन सम्प्रेषित है ।

संलग्न

१) नक्शा व खसरा की प्रतिलिपि



इसके अन्तर्गत खसरे के तहत कानून का अन्वयण प्राप्त है।
 खसरा नं. 00020 के तहत खसरा खसरे के अन्तर्गत है।

नाम : परदेवर रकम : 00020 द ति : परदेवर तहसील : परदेवर पंच : राजेश

क्षेत्रफल अनांक	क्षेत्रफल और यदि भूमि वालों के सम्मिलित न हों तो अलग अलग	खसरेदार का नाम, उसकी पति का नाम या पति का नाम तथा विवाह स्थान, अधिकार जिसके अर्थात् भूमि धारण के तहत और देय राजस्व का नाम	क्षेत्रफल जिसमें वह के द्वारा अन्वयण प्राप्त है					पड़ोसी का क्षेत्रफल		याने के बाहर के क्षेत्रों में बाँटें गईं कसरा का नाम तथा क्षेत्रफल
			असल भा नाम	असल का क्षेत्रफल	पूजासल क्षेत्रफल	अन्वयण के पड़ोसी	2 से 5 वर तक की पड़ोसी	अन्वयण पड़ोसी		
611	0.648	शरकीच भूमि (ज. व. न.) 59	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
612	0.091	शरकीच भूमि (ज. व. न.) 59								
618	0.125	शरकीच भूमि (ज. व. न.) 59								
657/1	0.409	शरकीच भूमि (ज. व. न.) 59								
730	0.295	शरकीच भूमि (ज. व. न.) 59								
733	0.243	शरकीच भूमि (ज. व. न.) 59								
734	0.206	शरकीच भूमि (ज. व. न.) 59						क्षेत्रफल (0.206)	अन्वयण (शरकीच)	

• किसी भूमि स्वामी या परदेवर या किसी नौसमी कारनकार के उपखसरेदार का नाम, पति का नाम, लगान या पड़े की रकम और उपखसरे पर दिया गया भूना का क्षेत्रफल

प. व. नं. 00020
 परदेवर
 का सिद्धार

Signature valid
 Digitally signed by राजेश
 Date: 2018.05.30 12:57:57
 Reason: Certified to be

दिनांक : 30 May 2018

इस कार्यवाही के संबंध में यह कार्य का बंदी रखा गया है
 जहाँ के अनुसार निर्देश दिए जा रहे हैं

दिनांक 30.05.2018 को जारी किया गया है

पता : उपर्युक्त

फ़ोन : 00020

ए. नं. : ए.ए.ए.

पंजीयन संख्या

दिनांक

कोर्स नं. 11
 (उत्तर)

क्षेत्र/कक्षा	क्षेत्र/कक्षा	क्षेत्र/कक्षा	क्षेत्र/कक्षा				पंजीयन का क्षेत्र/कक्षा		उपरोक्त क्षेत्र/कक्षा	
			क्षेत्र/कक्षा	क्षेत्र/कक्षा	क्षेत्र/कक्षा	क्षेत्र/कक्षा	क्षेत्र/कक्षा	क्षेत्र/कक्षा		
760/1	0.077	क्षेत्र/कक्षा (उ. ए. ए.) 59	141	151	161	171	181	191	201	211
740/1	0.336	क्षेत्र/कक्षा (उ. ए. ए.) 59								
742/2	0.809	क्षेत्र/कक्षा (उ. ए. ए.) 59								
746	0.057	क्षेत्र/कक्षा (उ. ए. ए.) 59								
747	0.113	क्षेत्र/कक्षा (उ. ए. ए.) 59								
752/1	0.158	क्षेत्र/कक्षा (उ. ए. ए.) 59								
760	0.057	क्षेत्र/कक्षा (उ. ए. ए.) 59								

• किसी भी स्थानीय या पर्यटन या किसी भी प्रकार के उपर्युक्त का नाम, पता, पता का नाम, स्थान या पते को रक्त और उपर्युक्त पर दिया गया क्षेत्र/कक्षा

पृष्ठ संख्या 9 / 13

पंजीयन
 क्षेत्र/कक्षा
 क्षेत्र/कक्षा

पत्रिका क्र. १०००/२०१८
 दिनांक १०/०८/२०१८

पृष्ठ संख्या : ०००२०

पृष्ठ संख्या : ०००२०

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्र का विवरण						क्षेत्र का नाम	
				क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का विवरण		
11	11776	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1								
43371	11655	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1								
73871	2934	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1								
74211	2770	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1								
28971	2837	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1								
872	3056	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1								
823	1935	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1								
829	0862	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1	शरणागत भूमि (ज. व. न.) 4/1								

• किसी भी स्थानीय या प्रदेशीय या किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के उपस्थित का नाम, पता का नाम जमान का पत्र की रकम और उपस्थित पर दिया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल

पृष्ठ संख्या 2 / 3

प.सं. १०००/२०१८
 पत्रिका क्र. १०००/२०१८

क्र.सं.	विवरण	कर्मचारी का नाम (पद और नाम)	पद	वर्षों का अंतराल					कुल अंतराल	कुल अंतराल का प्रतिशत
				1	2	3	4	5		
968	✓	श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह	1					1	100%
969	✓	श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह	1					1	100%
970	✓	श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह	1					1	100%
971		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
972		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
973		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
974		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
975		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
976		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
977		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
978		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
979		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							
980		श्री. वी. ए. सिंह	श्री. वी. ए. सिंह							


• किसी भी स्थिति में किसी भी कर्मचारी का नाम, पद, विभाग, पदवी, आदि का अंतराल वा. ए. के अनुसार ही किया गया है।

प. ए. नं. 11/13
 आ. सिद्धार्थ
 पदवी
 श्री. वी. ए. सिंह

खसरा नक्शा

दिनांक : 31/07/2019 12:19:12 PM

प्लॉट नंबर : राजस्व निरीक्षण मण्डल : घग्घोडा तहसील : घग्घोडा जिला : रायपट्ट



मापमान 1:500

खसरा नंबर : 229
धारणाधिकार : शासकीय भूमि
रकबा : 0.1500 हेक्टेयर
सिंचित रकबा :
असिंचित रकबा :

नाम : शासकीय भूमि
पिता का नाम :
पता :

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

1/1/20
पटवारी
उमा सिद्धर
प.उ.नं. 229
घग्घोडा, जिला-रायपट्ट (उ.प्र.)

खसरा नक्शा

दिनांक 31/07/2019 12:59:28 PM

खसरा नक्शा : गांव : सरगोदा, तहसील : सरगोदा, जिला : सरगोदा



मापमान 1:5000

खसरा नंबर : 561/1
प्राप्तकर्ता/पंजीकर्ता : प्रायश्चित्त भूमि
रकबा : 1.1/60 हेक्टर
शुद्ध रकबा :
अशुद्ध रकबा :

नाम : प्रायश्चित्त भूमि
पिता का नाम :
पत्नी :


सरगोदा जिलाधिकारी के कार्यालय
सरगोदा



खसरा नक्शा

दिनांक : 31/07/2019 12:18:50 PM

शहर : राजस्त निरीक्षक मण्डल : घरघोड़ा तहसील : घरघोड़ा जिला : रायगढ़



मापमान 1:2000

खसरा नंबर : 734
धारणाधिकार : शासकीय भूमि
रकबा : 0.2060 हेक्टेयर
सिंचित रकबा :
असिंचित रकबा :

नाम : शासकीय भूमि
पिता का नाम :
पता :


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

Uma
पटवारी
उमा सिदार
प.ह.नं. 9
श. घरघोड़ा, जिला- रायगढ़ (उ.प्र.)

खसरा नक्शा

दिनांक : 31/07/2019 12:23:31 PM

सर्वेक्षण विरीक्षाक मण्डल : परसोडा तहसील , परसोडा जिला : रायगढ़



मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 799/1
सारणीकार : शासकीय भूमि
रकबा : 2.8370 हेक्टर
सिंचित रकबा :
असिंचित रकबा :

नाम : शासकीय भूमि
पिता का नाम :
पता :


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

K. S. K.
पटवारी
उमा सिद्ध
प. ह. नं.
रायगढ़, जिला-रायगढ़ (म.प्र.)

खसरा नक्शा

दिनांक : 31/07/2019 12:24:21 PM

छरौटांगर राजस्व निरीक्षक मण्डल : घरघोड़ा तहसील : घरघोड़ा जिला : रायगढ़



मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 822
धारणाधिकार :

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

Mido
पटवारी
उमा सिदार
प.ह.नं. 18
तह. घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (ख.ग.)

खसरा नक्शा

दिनांक : 31/07/2019 12:16:38 PM

हरीद्वार राजस्व निरीक्षक मण्डल : घरघोड़ा तहसील : घरघोड़ा जिला : रायगढ़




मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 864
धारणाधिकार : शासकीय भूमि
रकबा : 1.8940 हेक्टेयर
सिंचित रकबा :
असिंचित रकबा :

नाम : शासकीय भूमि
पिता का नाम :
पता :


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा



खसरा नक्शा

दिनांक : 31/07/2019 12:17:14 PM

खसरा नंबर : 932 निरीक्षक मण्डल : धरघोड़ा तहसील : धरघोड़ा जिला : रायगढ़



मापमान 1:1000

<p>खसरा नंबर : 932 धारणाधिकार : शासकीय भूमि रकबा : 0.1250 हेक्टेयर सिंचित रकबा : असिंचित रकबा : नाम : शासकीय भूमि पिता का नाम : पता :</p>	
--	--

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

12/10/19
पटवारी
उमा सियार
प.ह.नं. 12/10/19
धरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (उ.प्र.)

प्रति,


श्रीमान लक्ष्मीनारायण महोदय
सहस्रीन-घरघोड़ा जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- 230/130 के वी. उपकेन्द्र गेखानी से मोसल
इरान हेतु एन्नाविर सी. एम. एम. फारीदापट
तक लगभग 45 कि.मी. 132 के वी. डी. सी.
एन. लाइन काय प्रसिक्शन के संबंध में

महोदय

विषयांतरित संदर्भित पत्र के अनुसार इतीफाद
राज्य विद्युत वारेण्टा कंपनी मर्यादित विलासपुर द्वारा
220/132 के वी. उपकेन्द्र गेखानी से मोसल इरान
हेतु एन्नाविर सी. एम. एम. फारीदापट तक लगभग
45 कि.मी. 132 के वी. डी. सी. एन. लाइन का
निर्माण कार्य किया जाना है जिसका एन्नाविर क्षेत्र
काम अमलीडीह पं. नं. 21 तह. + शं. नि. मं.
घरघोड़ा जिला-रायगढ़ ग्राम-अमलीडीह में स्थित
भूमि खं. नं. 254 रकबा 0.789 हे. मर-दोटे झाड़
का अंगल है जिसमें एन्नाविर (क्षेत्र) रकबा 0.040 हे.
है

अतः अग्रिम कार्यवाही के लिए पालन
प्रसिक्शन सम्प्रेषित है


पटवारी
प.ह.न.- 21
तह.- घरघोड़ा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार
धरबोड़ा

विषय:- 230/130 के वही उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीझपर लक्ष लगभग 45 डिग्री 132 के वही. टी. सी. एस. लाइन जांच प्रतिवेदन के संबंध में

संदर्भ:- आपसे आयालय के पत्र क्र. 1/स्टेजो/2019 धरबोड़ा दिनांक 16-07-2019

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि ग्राम टेरम प. ह. नं. 12 तहसील धरबोड़ा जिला रायचूर में डू गण राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी प्राधिकृत बिलासपुर द्वारा 230/130 के वही उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि ख. नं. 665, 127/1क एवं 636/3 से लेकर जा रही है। किवरण निम्नांकित है।

ख. नं.	रकबा	प्रकार	प्रभावित रकबा
① 665	0.020 हे.	घोटेकाड़का जंगल	0.009
② 127/1क	6.746 हे.	घास	0.094
③ 636/3	7.313 हे.	घोटेकाड़का जंगल	0.800
योग	3		0.903 हे.

उपरोक्त प्रकार कुल ख. नं. 3 कुल रकबा 0.903 हे. शासकीय भू की भूमि प्रभावित हो रही है।

प्रतिवेदन श्रीमान जी को कार्रवाई हेतु सादा प्रस्तुत है।



29/7/19

प्रकाश चंद्रा
न. 12 (धरबोड़ा)

प्रति

श्रीमान सहस्रीलदार महोदय
हरदोड़ा

विषय - प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ - आपके पत्र क्र. वप्र/सहीना/2019/दि. 16/7/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयसंबंधित लेख है कि ग्राम बैदाभुड़ा प. ह. न. 17 रा. सि. म. व सह. हरदोड़ा में छ. ग. राज्य विद्युत परियोजना का अर्धदिन बिलासपुर द्वारा 230/130 क.व्ही. टावर लार्डन प्रस्तावित है, जिस ईसु मौका जंच श्रीमान न्यायालय सहस्रीलदार-हरदोड़ा के आदेशानुसार मौके पर उपस्थित हुआ हाव लार्डन की ओर आर. सख. इन्फ्रा. के इंजीनियर व अक्सि-टेक सर्वेयर के साथ मौका जंच किया मौके पर ग्राम बैदाभुड़ा का ख. न. 2/1 से रकबा 0.146 है. ~~भूमि प्रभावित हो रही है~~ जो होट्टे झाड़ के जंगल भूद में दर्ज है तथा ख. न. 6/1 से रकबा 0.081 है भूमि प्रभावित हो रही है, जो होट्टे झाड़ के जंगल भूद में दर्ज है।

अतः श्रीमान जी की ओर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही ईसु सादर अनुरोधित।


पटवारी

(अभिषेक विश्वाल)

प.ह.न. ...17.....

स. - परसेवा वि. समिति (प.ग.)

कार्यालय तहसीलदार रायगढ़, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क.1.607/तह./2019

रायगढ़ दिनांक 22.08.2019

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के.व्ही. उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी.एस.एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही.डी.सी. डी.एस. लाईन तक 132 के.व्ही.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4061/अविअ/2019 रायगढ़ दिनांक 08.08.2019


--:0:--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के.व्ही. उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी.एस.एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही.डी.सी. डी.एस. लाईन तक 132 के.व्ही.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उक्त संबंध में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 07.08.2019 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र (केवल छोटे झाड़ एवं बड़े झाड़ के जंगल) का स्थल निरीक्षण किया गया। जिसमें ग्राम पाली प.ह.नं. 27 रा.वि.मं. रायगढ़-1 तहसील व जिला रायगढ़ में खसरा नंबर 49 रकबा 0.223 हे. में से प्रभावित रकबा 0.042 हे. एवं खसरा नंबर 115 रकबा 0.271 हे. में से प्रभावित रकबा 0.073 हे. भूमि प्रभावित हो रही है। ग्राम देलासे से खसरा नंबर 192/1 रकबा 0.405 हे. से रकबा 0.096 हे. प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है।

अतः जांच प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु मूलतः आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्ताबुसार।


तहसीलदार

रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक-4061/ अ.वि.अ. /2019

रायगढ़, दिनांक-08.08.2019

प्रति,

तहसीलदार,

रायगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

- विषय :- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।
- संदर्भ :- कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायगढ़ का पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 03.08.2019।

--0--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है।

अतः संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में संयुक्त रूप से जांच/सर्वे कराकर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

13 AUG 2019

क्रमांक	197
दिनांक	20/8/2019
आ. सं.	ए.प. (महसुदा)

प्रतिवेदन देवे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (ग. - अगिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ.ग.0)
संशोधित

क्रमांक
प्रति

/भू.अ.लि./2019

रायगढ़ दिनांक 2019

✓ अनुविभागीय अधिकारी (ग.)
रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्चा की 220/130 के व्ही उपकेन्द्र गेरवानी से
मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के
व्ही डी. सी डी एस लाईन तक 132 के व्ही डी एस लाईन का निर्माण कार्य हेतु
राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।
संदर्भ :- छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्यादित विलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./प्र.उ
दा/निर्माण/सभाग/416 विलासपुर दिनांक 31/07/2019।

00

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। प्राप्त संशोधित आवेदन
पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्चा की 220/130 के व्ही उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स
इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के व्ही डी. सी डी.
एस. लाईन तक 132 के व्ही डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है। उक्त लाईन में
रायगढ़ अनुभाग अंतर्गत ग्राम पाली का खसरा नंबर 49 कुल रकबा 428.464 प्रभावित रकबा 0.
024 है. एवं खसरा नंबर 115 कुल रकबा 731.603 प्रभावित रकबा 0.731 एवं ग्राम देतारी खसरा
नंबर 192/1 कुल रकबा 965.836 प्रभावित रकबा 0.096 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः उक्त संबंध में आप नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति की कार्यवाही विवरण सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करें।
संलग्न :- संशोधित आवेदन पत्र की छायाप्रति।

पृ.क्रमांक 1009 /भू.अ.लि./2019
प्रतिलिपि :-

छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्यादित संभाग विलासपुर की ओर सूचनार्थ।

3 AUG 2019

क्रमांक	5047
दिनांक	05/8/2019
शा. पत्रांक	...

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़ दिनांक 03/08/2019

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ़ (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(सहयोगिता, गान्धी एन.ए. रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का एक सार्वजनिक कम्पनी)
कार्यालय, कार्यालय, इन्डिया गेट रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, भारत
Email Address: ceent.bilaspur@esps.co.in Ph. No. / Fax 07752-427074
ब्रम्होदक, का. रा. वि. पारे. कं. मर्यादित / बिलासपुर / मध्य प्रदेश / 495001 बिलासपुर, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला : रायगढ़

विषय:-छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के0व्ही0 उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इरकोंन हेतु प्रस्तावित टी. एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी.सी.डी.एस. लाईन तक 132 के.व्ही. डी.सी. डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदाय करने वाक्य।

-000-

विषयांतर्गत निवेदन है कि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के0व्ही0 उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इरकोंन हेतु प्रस्तावित टी. एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी.सी.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है।

इस परियोजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के कुल 3.911 हेक्टेयर वनभूमि का व्यापवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। आपके जिले के अंतर्गत आने वाले 3.911 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

कृपया संलग्न विवरण के अनुसार राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदाय करने का कष्ट करें, ताकि FCA Act-1980 के अंतर्गत भूमि व्यापवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार। ✓


कार्यपालिका अभियंता
अ.उ.दा.निर्माण संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित बिलासपुर

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, अ.उ.दा. (नि.एवंसं.) वृत्त, छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित बिलासपुर।

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, रायगढ़

क्रमांक

संवेदनिका

दिनांक

नियंत्रक

प्रमोद/वी

S.Patel

02/08/19

अधीक्षक भू-अभिलेख

	VILLAGE NAME	TEHSIL	KHASRA NO.	AREA IN (SQ.M.)	AREA IN (HECTARE)
	PALI	RAIGARH	49	428.461	0.0428461
	PALI	RAIGARH	115	731.0603	0.07310603
	DELARI	RAIGARH	192/1	965.8365	0.09658365
4	SARAIPALI	TAMNAR	515/1	1834.382415	0.183438242
5	SARAIPALI	TAMNAR	515/2	3549.994525	0.354999453
6	SARAIPALI	TAMNAR	495	2434.765553	0.243476555
7	BHUIKURRI	TAMNAR	27	192.8080135	0.019280801
8	BAGBUDA	TAMNAR	54/1	1321.289779	0.132128978
9	JAMDABRI	TAMNAR	76	288.9228432	0.028892284
10	JAMDABRI	TAMNAR	72/1	3690.643513	0.369064351
11	CHARRATANGAR	GHORGHODA	864	4768.971076	0.476897108
12	CHARRATANGAR	GHORGHODA	822/1	1615.927856	0.161592786
13	CHARRATANGAR	GHORGHODA	932	647.6330064	0.064763301
14	CHARRATANGAR	GHORGHODA	951	218.1933549	0.021819335
15	CHARRATANGAR	GHORGHODA	799/1	2165.545103	0.21655451
16	CHARRATANGAR	GHORGHODA	561/1	274.0144369	0.027401444
17	CHARRATANGAR	GHORGHODA	747	52.77181638	0.005277182
18	CHARRATANGAR	GHORGHODA	746	124.9238565	0.012492386
19	CHARRATANGAR	GHORGHODA	734	424.3189236	0.042431892
20	CHARRATANGAR	GHORGHODA	734	795.4462287	0.079544623
21	AMLIDIH	GHORGHODA	229	610.8932442	0.061089324
22	BAIHAMUDA	GHORGHODA	254	1682.442175	0.168244218
23	BAIHAMUDA	GHORGHODA	444	623.4530839	0.062345308
24	BAIHAMUDA	GHORGHODA	442	821.3785117	0.082137851
25	BAIHAMUDA	GHORGHODA	6	3861.906311	0.386190631
26	BAIHAMUDA	GHORGHODA	467	1432.203854	0.143220385
27	TERAM	GHORGHODA	2/1	98.26030437	0.00982603
28	TERAM	GHORGHODA	665	942.5009163	0.094250092
29	KARICHHAPAR	GHORGHODA	127/1	85.75609672	0.00857561
30	FAGURAM	GHORGHODA	209	2430.534314	0.243053431
		TOTAL:-	531		3.911524191

कार्यालय कलेक्टर (गू - अगिलेख शाखा) जिला रायगढ (छ.ग.0)

संशोधित

रायगढ दिनांक 2019

क्रमांक
प्रति.

/गू.अ.लि./2019

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ

जिला रायगढ (छ.ग.)

विषय :- छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्या की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने वावत्।

संदर्भ :- छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./अ.उ. दा/निर्माण/संभाग/416 बिलासपुर दिनांक 31/07/2019।

00.....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। प्राप्त संशोधित आवेदन पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्या की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है। उक्त लाईन में रायगढ अनुभाग अंतर्गत ग्राम पाली का खसरा नंबर 49 कुल रकबा 428.464 प्रभावित रकबा 0.024 हे. एवं खसरा नंबर 115 कुल रकबा 731.603 प्रभावित रकबा 0.731 एवं ग्राम देलारी खसरा नंबर 192/1 कुल रकबा 965.836 प्रभावित रकबा 0.096 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः उक्त संबंध में आप नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही विवरण सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संशोधित आवेदन पत्र की छायाप्रति।

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ (छ.ग.)
रायगढ दिनांक 03/08/2019

पू क्रमांक 1009/गू.अ.लि./2019
प्रतिलिपि :-

छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्यादित संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ (छ.ग.)



187 2019

NO.	VILLAGE NAME	TEHSIL	KHASRA NO.	AREA IN (SQ M.)	AREA IN (HECTOR)
1	PALI	RAIGARH	49	428.464	0.0428464
2	PALI	RAIGARH	115	731.0603	0.07310603
3	DELARI	RAIGARH	192/1	965.8365	0.09658365
4	SARAIPALI	TAMNAR	515/1	1834.382415	0.183438242
5	SARAIPALI	TAMNAR	515/2	3549.994525	0.354999453
6	SARAIPALI	TAMNAR	495	2434.765553	0.243476555
7	BHUIKURRI	TAMNAR	27	192.8080135	0.019280801
8	BAGBUDA	TAMNAR	54/1	1321.289779	0.132128978
9	JAMDABRI	TAMNAR	76	288.9228432	0.028892284
10	JAMDABRI	TAMNAR	72/1	3690.643513	0.369064351
11	CHARRATANGAR	GHORGHODA	864	4768.971076	0.476897108
12	CHARRATANGAR	GHORGHODA	822/1	1615.927856	0.161592786
13	CHARRATANGAR	GHORGHODA	932	647.6330064	0.064763301
14	CHARRATANGAR	GHORGHODA	951	218.1933549	0.021819335
15	CHARRATANGAR	GHORGHODA	799/1	2165.545103	0.21655451
16	CHARRATANGAR	GHORGHODA	561/1	274.0144369	0.027401444
17	CHARRATANGAR	GHORGHODA	747	52.77181638	0.005277182
18	CHARRATANGAR	GHORGHODA	746	124.9238565	0.012492386
19	CHARRATANGAR	GHORGHODA	734	424.3189236	0.042431892
20	CHARRATANGAR	GHORGHODA	229	795.4462287	0.079544623
21	AMLIDIH	GHORGHODA	254	610.8932442	0.061089324
22	BAIHAMUDA	GHORGHODA	444	1682.442176	0.168244218
23	BAIHAMUDA	GHORGHODA	442	623.4530839	0.062345308
24	BAIHAMUDA	GHORGHODA	6	821.3785117	0.082137851
25	BAIHAMUDA	GHORGHODA	467	3861.906311	0.386190631
26	BAIHAMUDA	GHORGHODA	2/1	1432.203854	0.143220385
27	TERAM	GHORGHODA	665	98.26030437	0.00982603
28	TERAM	GHORGHODA	127/1	942.5009163	0.094250092
29	KARICHHAPAR	GHORGHODA	209	85.75609672	0.00857561
30	FAGURAM	GHORGHODA	531	2430.534314	0.243053431
TOTAL:-					3.911524191

प्रति

शीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग रामगढ़.

विषय:- 220/130 के. व्ही. डपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान
प्रस्तावित सी. एस. एस. कारीछापट तक लगभग 45 K.M.
132 के. व्ही. डी. सी. एस. लाइन जॉय प्रतिवेदन ग्रहण
करने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय कलेक्टर (पू. अभिलेख शाखा) जिला रामगढ़
(छ.ग.) के पत्र क्रमांक 1009/पू. अ. लि. /2019
रामगढ़ दिनांक 03/08/2019 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. राज्य विद्युत
पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के. व्ही.
डपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान डेल्टा प्रस्तावित
सी. एस. एस. कारीछापट तक लगभग 45 K.M. 132
के. व्ही. डी. एस. एस. लाइन का निर्माण किया जाना है
तत्सम्बंध में ताननीय ग्रामालय के आदेशानुसार
प्रभावित क्षेत्र (केवल छोटे झाड़ एवं बड़े झाड़ के जंगल)
का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें ग्राम पाली
प. ह. नं. 27, रा. नि. सं. - रामगढ़-1 तह. व जिला-
रामगढ़ में खसरा नं. 49 रकबा 0.223 हे. में से
प्रभावित रकबा 0.042 हे. व खसरा नं. 115 रकबा
0.271 हे. में से प्रभावित रकबा 0.073 हे. भूमि प्रभावित
हो रहा है। व ग्राम देवारी से ख. नं. 132/1 रकबा 0.405 हे. रकबा 0.096 हे.
प्रभावित हो रहा है। अतः प्रतिवेदन शीमान की सेवा में आग्रिम कार्यवाही हेतु
सादर सम्प्रेषित है।

दिनांक 07-08-19

07-08-19
अमरदास सजय
प. ह. नं. 27
रा. नि. सं. रामगढ़-1, तह. रामगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-221126 (1), 07762-222178 (R), 07762-226017 (1) | mail: dfo-raigarh.cg.cgov.in

क्रमांक/तक आ/ 2057

/2019/रायगढ़, दिनांक :- 25/04/2019

प्रति,

अधीक्षण अभियंता,

अ.उ.दा. (नि एवं रां.) मूल.


छ.रा.वि.पारे.कं.गया. विलासपुर

विषय :- 220/132 के.व्ही. उपकेंद्र गेरवानी रो मेसर्स इनकॉन हेतु प्रस्तावित टी.एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन हेतु वन भूमि के लिए सर्वेक्षण बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/का.अ/अ.उ.दा./निर्माण/संभाग/1308 विलासपुर दिनांक 10.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 220/132 के.व्ही. उपकेंद्र गेरवानी रो मेसर्स इनकॉन हेतु प्रस्तावित टी.एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का गौका जांच वन परिक्षेत्राधिकारियों द्वारा किया गया जिनके प्रतिवेदन अनुसार प्रभावित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिक्षेत्र	परिसर	कटा क्रमांक	लम्बाई(मी.मे.)	चौड़ाई(मी.मे.)	क्षेत्रफल (हे.मे.)	रिमांक
1	रायगढ़	लाखा	881 पी.एफ.	560	27	1.512	
2	घरघोड़ा	छरटांगर	1260 पी.एफ.	300	27	0.810	
		नवापारा	1234 ओ.ए.	5	27	0.013	
3	तमनार	रावो	829 आर एफ.	150	27	0.405	
4	खरसिया	विजकोट	1183 आर एफ.	365	27	0.985	
कुल रकबा:-						3.725	


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

फॉर्म पी-1।
(खसरा)

ग्राम : देवारी

हल्का 00027

स लि : रायगढ़-1

तहसील : रायगढ़

जिला : रायगढ़

यह खसरा खसरा हेक्टर में एक करो का खसरा रूप से पैसा में
समस्त की जानकारी पिटुम वर्ष की है
यहां से 11 में रबी तथा खरीफ की जानकारी है


क्रमांक	क्षेत्रफल और यदि भूमि खाते में शामिल न हो तो उसका वर्णन	कच्चेदार का नाम उरुके पित्त का नाम या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई और टेंच राजस्व का वर्णन	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान फसल उगाई गई			पडती का क्षेत्रफल			खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	
			फसल का नाम	फसल का क्षेत्रफल	दु-फसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पडती	2 से 5 वर्ष तक की पडती	अन्य पडती		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
94250	शान	110 व. शासन शामिल शानकीय भूमि								

पटवारी
आम... राजस
प.ह. 27
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

खसरा नक्शा

दिनांक : 31/07/2019 01:11:09 PM

राजस्व निरीक्षक मण्डल : रायगढ़-1 तहसील : रायगढ़ जिला : रायगढ़



मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 192
धारणाधिकार :

दीप लाल निम्नोक्त भूमि द्वावे दित भूमि हो

(Signature)
पटवारी
अमरनाथ राजय
प.ह. 27
रायगढ़ जिला रायगढ़ (उ.ग.)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक- 4067 अ.वि.अ. /2019

रायगढ़, दिनांक- 08.08.2019

प्रति,

तहसीलदार,

रायगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायगढ़ का पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 03.08.2019।

--0--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है।

अतः संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में संयुक्त रूप से जांच/सर्वे कराकर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)



ok

प्रति

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभाग - रामगढ़

विषय! - एच. ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्मा. नं. 220/130 के वी. उपकेन्द्र गोरवानी से मेसर्स इरकान प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापूर तक लगभग 45 K.m. 132 के. वी. डी. सी. एल लाईन लॉन्च प्रतिवेदन के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ! - कार्यालय कलेक्टर (अ-अभिलेख शाखा) जिला रामगढ़ के पत्र संमांक 917/अ. लि/2019 रामगढ़ दिनांक 17-07-2019 के संदर्भ में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एच. ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्मा. विलासपुर द्वारा 220/130 के वी. उपकेन्द्र गोरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापूर तक लगभग 45 K.m. 132 के. वी. डी. एस. एस. लाईन का निर्माण किया जाना है।

तत्संबंध में माननीय मामालय के आदेशानुसार प्रभावित क्षेत्र (केवल छोटे झाड़ के जंगल एवं बड़े झाड़ के जंगल) का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें काम देवारी प. ह. न. 27 में खसरा नं. 192/1 रकबा 0.400 मद पास वामि व छोटे झाड़ के जंगल में से रकबा 0.096 है. वामि प्रभावित हो रहा है।

अस्तु प्रतिवेदन श्रीमान वी सेवा में अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर सम्प्रेषित है।

दिनांक 30-07-19

31 JUL 2019

सेलगन

- ① नक्शा
- ② खसरा

अधिकारी	5708
संमांक	02/8225
श. अ. नं.	श्रीमान
अ. वि. अ. (स.)	

30-07-19
अमरक संख्या
प. ह. नं. 27
श. अ. नं. 1, तह. रामगढ़



कार्यालय कलेक्टर (भू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक 915 / भू.अ.लि. / 2019
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 17/07/2019

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

रायगढ़

जिला रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के0 व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी.एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के0 व्ही डी0 सी0 डी0 एस लाईन तक 132 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का. अ. / अ. उ. दा. / निर्माण / संभाग / 394 बिलासपुर दिनांक 4/6/2019।

00

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र मे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0 व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है। उक्त लाईन मे रायगढ़ तहसील के ग्राम देवारी खसरा नंबर 192/1 कुल रकबा 0.607 प्रभावित रकबा 0.096 हे. वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः उक्त संबंध मे आप नक्शा. खसरा. की प्रतिलिपी, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही विवरण सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्न :- आवेदन की छायाप्रति।

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ़ (छ 0 ग 0)

रायगढ़ दिनांक 17/07/2019

पृ. क्रमांक 915/1 / भू.अ.लि. / 2019
प्रतिलिपि :-

22 JUL 2019

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित संभाग बिलासपुर की ओर सूच

8 JUL 2019

Handwritten administrative stamp with fields for 'क्रमांक', 'दिनांक', and 'शा. प्र.' containing the number 17 and date 25/7/2019.

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ़ (छ 0 ग 0)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उद्योग) (उ०न०वि०न० का एक उत्तरदायी कर्मका)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.निर्माण) नं.भाग, छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित, तिफरा, विलासपुर

Email Address: eeeht.bilaspur@cspc.co.in Ph. No. / Fax 07752-427074

क्रमांक का अ./अ.उ.दा./निर्माण/संभाग/394 विलासपुर, दिनांक 04/06/19

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला : रायगढ़

TR/SLR
- 4 JUN 2019

विषय:-छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्या. की 220/130 के०व्ही० उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इरकॉन हेतु प्रस्तावित टी. एस.एस. कौरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी.सी.डी.एस. लाईन तक 132 के०व्ही. डी.सी. डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदाय करने बाबत।

-000-

विषयांतर्गत निवेदन है कि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्या. की 220/130 के०व्ही० उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इरकॉन हेतु प्रस्तावित टी. एस.एस. कौरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी.सी.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है।

इस परियोजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के कुल 3.911 हेक्टेयर वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। आपके जिले के अंतर्गत आने वाले 3.911 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

कृपया संलग्न विवरण के अनुसार राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदाय करने का कष्ट करें, ताकि FCA Act-1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.निर्माण संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित विलासपुर

प्रतिलिपि: श्री भू-अभिलेख शाखा, रायगढ़

1. अधीक्षण अभियंता, अ.उ.दा. (नि.एवंसं.) वृत्त, छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित विलासपुर।

श्री नरेश शर्मा

मो.नं. 9826111111

9826111111

9826111111

SL NO.	VILLAGE NAME	KHASRA NO.	AREA IN (SQ M.)	AREA IN (HECTOR)
1	PALI			
2	PALI	49	428.464	
3	DELARI	115	731.0603	0.0428464
4	SARAIPALI	192/1	965.8365	0.07310603
5	SARAIPALI	515/1	1834.382415	0.09658365
6	SARAIPALI	515/2	3549.994525	0.183438242
7	BHUIKURRI	495	2434.765553	0.354999453
8	BAGBUDA	27	192.8080135	0.243476555
9	JAMDABRI	54/1	1321.289779	0.019280801
10	JAMDABRI	76	288.9228432	0.132128978
11	CHARRATANGAR	72/1	3690.643513	0.028892284
12	CHARRATANGAR	864	4768.971076	0.369064351
13	CHARRATANGAR	822/1	1615.927856	0.476897108
14	CHARRATANGAR	932	647.6330064	0.161592786
15	CHARRATANGAR	951	218.1933549	0.064763301
16	CHARRATANGAR	799/1	2165.545103	0.021819335
17	CHARRATANGAR	561/1	274.0144369	0.21655451
18	CHARRATANGAR	747	52.77181638	0.027401444
19	CHARRATANGAR	746	124.9238565	0.005277182
20	CHARRATANGAR	734	424.3189236	0.012492386
21	CHARRATANGAR	229	795.4462287	0.042431892
22	AMLIDIH	254	610.8932442	0.079544623
23	BAIHAMUDA	444	1682.442176	0.061089324
24	BAIHAMUDA	442	623.4530839	0.168244218
25	BAIHAMUDA	6	821.3785117	0.062345308
26	BAIHAMUDA	467	3861.906311	0.082137851
27	BAIHAMUDA	2/1	1432.203854	0.386190631
28	TERAM	665	98.26030437	0.143220385
29	TERAM	127/1	942.5009163	0.00982603
30	KARICHHAPAR	209	85.75609672	0.094250092
	FAGURAM	531	2430.534314	0.00857561
TOTAL:-				3.911524191



कार्यालय कलेक्टर (भू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ (छ0ग0)

क्रमांक 917 / भूअ.लि. / 2019
प्रति,

रायगढ दिनांक 17/07/2019

✓ अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ
जिला रायगढ (छ0ग0)

विषय :- 220/130 के0 व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित ट. एस.एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के0 व्ही0 डी0 सी0 एस0 लाईन।

संदर्भ :- छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का. अ. / अ. उ. दा. / निर्माण / संभाग / 395 बिलासपुर दिनांक 4/6/2019।

.....00.....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र मे छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0 व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है। उक्त लाईन मे रायगढ तहसील के ग्राम देलारी खसरा नंबर 192/1 कुल रकबा 0.607 प्रभावित रकबा 0.096 हे. वन भूमि का व्यवर्तन वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। आवेदक संस्था / कंपनी द्वारा उक्त भूमि का लिनियर प्रकरण होने के कारण प्रदर्श 'स' एवं फार्म - 1 मे जानकारी चाही गई है।

अतः उक्त संबंध मे आप नक्शा. खसरा. की प्रतिलिपी एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही विवरण तथा लिनियर प्रकरण होने से फार्म -1 सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
संलग्न :- आवेदन की छायाप्रति।

डिप्टी कलेक्टर

✓ वास्ते कलेक्टर रायगढ (छ0ग0)

रायगढ दिनांक 17/07/2019

पृ.क्रमांक 917A / भूअ.लि. / 2019
प्रतिलिपि :-

छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित संभाग बिलासपुर की ओर सूचार्थ।

डिप्टी कलेक्टर

✓ वास्ते कलेक्टर रायगढ (छ0ग0)

22 JUL 2019

कार्यालय तहसीलदार
क्रमांक : 15
दिनांक 24/7/19
शा. प्र. 5. व. 10/5/19

कार्यालय
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ
दिनांक
शा.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड

(पब्लिसिटी रायन का एक उपक्रम) (CORPORAION का एक अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी)
 कार्यलय कार्यपालन अभियन्ता (अउदा निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड
 Email Address: eeelb.bilaspur@cspcl.com Ph. No. / Fax 07752-427074
 कर्मोंक का अ. / अउदा. / निर्माण / संभाग / 132 के 0 व्ही 0 विलासपुर, दिनांक 04/06/19

SLR

12 JUN 2019

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
 जिला : रायगढ़


विषय:- 220 / 130 के 0 व्ही 0 उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इरकॉन हेतु प्रस्तावित डी.एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के 0 व्ही 0 डी.सी.डी.एस. लाईन

-000-

विषयांतर्गत निवेदन है कि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. द्वारा 220 / 130 के 0 व्ही 0 उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इरकॉन हेतु प्रस्तावित डी.एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के 0 व्ही 0 डी.सी.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है।

उपयुक्त लाईन से रायगढ़ जिले के कुल 7.623 हेक्टेयर वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। आपके जिले के अंतर्गत आने वाले है 7.623 वनभूमि का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है। MOEF&CC के निर्देशानुसार लिनियर प्रोजेक्ट के लिये ग्राम सभा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया MOEF&CC एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (सू. प्रवर्ध/व.स.अ.) के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार अधिनियम 2008 (FRA, 2008) का प्रमाण पत्र एवं पूर्व में हुई ग्रामसभा (विन्सी भी प्रयोजन हेतु) और उपखण्ड समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रति प्रदाय करने का कष्ट करें।

2173
 13/6/19



कार्यपालन अभियन्ता
 अ.उदा.निर्माण संभाग
 छ.रा.वि.पारे.क.मर्यादित विलासपुर

कर्मोंक का अ. / अउदा. (वि.स.अ.)
 जिला : रायगढ़
 श्री मण्डाजी

432
 14/6/19

NO	DESA	LUAS	POPULASI	KEPADATAN
1	DESA	48	400.464	0.0083451
2	DESA	115	731.0603	0.007310603
3	DESA	192/1	965.8305	0.009658305
4	SARAIKALI	515/1	1834.38245	0.183438242
5	SARAIKALI	515/2	3549.994525	0.354999453
6	SARAIKALI	495	2434.765553	0.243476555
7	BHUIKURRI	27	192.8080135	0.019280801
8	BAGBUDA	54/1	1321.229779	0.132122978
9	JAMDASRI	76	288.9228432	0.028892284
10	JAMDABRI	72/1	3690.643513	0.369064351
11	CHARRATANGAR	864	4762.971076	0.476897108
12	CHARRATANGAR	822/1	1615.927856	0.161592786
13	CHARRATANGAR	932	647.6330064	0.064763301
14	CHARRATANGAR	951	218.1933549	0.021819335
15	CHARRATANGAR	799/1	2165.545103	0.21655451
16	CHARRATANGAR	561/1	274.0144369	0.027401444
17	CHARRATANGAR	747	52.77181638	0.005277182
18	CHARRATANGAR	746	124.9238565	0.012492386
19	CHARRATANGAR	734	424.3189236	0.042431892
20	CHARRATANGAR	229	795.4462287	0.079544623
21	AMLIDIH	254	610.8932442	0.061089324
22	BAIHAMUDA	444	1682.442176	0.168244218
23	BAIHAMUDA	442	623.4530839	0.062345308
24	BAIHAMUDA	6	821.3785117	0.082137851
25	BAIHAMUDA	467	3861.906311	0.386190631
26	BAIHAMUDA	2/1	1432.203854	0.143220385
27	TERAM	665	98.26030437	0.00982603
28	TERAM	127/1	942.5009163	0.094250092
29	KARICHHAPAR	209	85.75609672	0.00857561
30	FAGURAM	531	2430.534314	0.243053431
TOTAL:-				3.911524191

प्रति

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभाग - रामगढ़

विषय! - एच. ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्चा. नं. 220/130 के वीडि उपकेन्द्र गेरवाणी से मेसर्स इरकान प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापूर तक लगभग 45 K.m. 132 के. वीडि. डी. सी. एल लाईन लॉच प्रतिवेदन के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कावत।

संदर्भ! - कार्यालय कलेक्टर (अ-अभिलेख शाखा) जिला रामगढ़ के पत्र नं. 317/अ. वि. 12019 रामगढ़ दिनांक 17-07-2019 के संदर्भ में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एच. ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्चा. विलासपुर द्वारा 220/130 के. वीडि. उपकेन्द्र गेरवाणी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापूर तक लगभग 45 K.m. 132 के. वीडि. डी. एस. एस. लाईन का निर्माण किया जाना है।

तत्संबंध में माननीय मामालय के आदेशानुसार प्रभावित क्षेत्र (केवल छोटे झाड़ के जंगल एवं बड़े झाड़ के जंगल) का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें काम देनारी प. ह. न. 27 में खसरा नं. 192/1 रकबा 0.400 मद पास भूमि व छोटे झाड़ के जंगल में से रकबा 0.096 है भूमि प्रभावित हो रहा है।

अस्तु प्रतिवेदन श्रीमान वीडि सेवा में अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर सम्प्रेषित है।

दिनांक 30-07-19

31 JUL 2019

सेलगन

- ① नक्शा
- ② खसरा

अधिकारी	
क्यांक	5708
दिनांक	02/8/2019
शा. प्रमाण	श्रीमान
अ. वि. नं. (ग.)	

30-07-19
अपरदाय संलग्न
प. ह. नं. 27
श. वि. नं. रामगढ़-1. तह. शिवगढ़

दिनांक: 31-Jul-2019

फॉर्म पी.11
(खसरा)

वर्ष 2018-19

भूमि का खसरा हेबटेयर में एवं कबो का खसरा रूपये पैसो में
जबकि की जानकारी विवरण उप की है

ग्राम देवारी

खसरा 00027

स.दि. रायगढ़-1

तहसील रायगढ़

जिला रायगढ़

ध्यान - स. 11 में कोई एक खसरा का जानकारी है

क्र.सं.	क्षेत्रफल और यदि भूमि खाली में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कच्चेदार का नाम उसके पिता का नाम या पति का नाम तथा मित्रास स्थान अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई और टैप राजस्व का लगान	क्षेत्रफल जिससे वर्ष के दौरान कमान उगाई गई			पट्टी का क्षेत्रफल			खाली की बाहर के क्षेत्रों में बांटे गई क्षेत्र का नाम तथा क्षेत्रफल	इतिवृत	
			कमान का नाम	कमान का क्षेत्रफल	3. कमानों क्षेत्रफल	चार वर्ष की पट्टी	2 से 5 वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14600	खसरा	राजेश च. शर्मा सम्मिलित - शानकीय भूमि									


पटवारी
 अमर सिंह
 प.ह. 27
 तह. रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

- किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौसमी कारतकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता
 का नाम लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल

पृष्ठ संख्या 1 / 1


संश्लेषित प्रदान करने वाले का हस्ताक्षर

प्रतिमाप प्रदानकर्ता - ANANTSINGH DAR 31-Jul-2019 13:28:04

खसरा नक्शा

दिनांक : 31/07/2019 01:11:09 PM

राजस्व निरीक्षक मण्डल : रायगढ़-1 तहसील : रायगढ़ जिला : रायगढ़



मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 192
धारणाधिकार :

दीप लाल चिंहांकित कालि आवेदित प्रति है।

(Signature)
पटवारी
अमरदत्त सजय
प.ह. 37
रायगढ़ जिला रायगढ़ (उ.प्र.)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

कार्यालय कलेक्टर (गू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

कमाक
प्रति,

/भू.अ.लि./2019

रायगढ़ दिनांक 2019

✓ अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के व्ही डी. सी. डी. एस. लाईन तक 132 के व्ही डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र कमाक का.अ./अउ. दा/निर्माण/संभाग/416 बिलासपुर दिनांक 31/07/2019।

.....00.....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। प्राप्त संशोधित आवेदन पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि. मी. 132 के व्ही डी. सी. डी. एस. लाईन तक 132 के व्ही डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है। उक्त लाईन में रायगढ़ अनुभाग अंतर्गत ग्राम पाली का खसरा नंबर 49 कुल रकबा 428.464 प्रभावित रकबा 0.024 है एवं खसरा नंबर 115 कुल रकबा 731.603 प्रभावित रकबा 0.731 एवं ग्राम देतारी खसरा नंबर 192/1 कुल रकबा 965.836 प्रभावित रकबा 0.096 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः उक्त संबंध में आप नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही विवरण सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संशोधित आवेदन पत्र की छायाप्रति।

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 03/08/2019

पृ.कमाक 1009/भू.अ.लि./2019

प्रतिलिपि :-

छ.ग. राज्य विद्युत पोरषण कंपनी मर्यादित संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

3 AUG 2019

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ़ (छ.ग.)

क्र.सं.	5047
दिनांक	05/08/2019
शा. प्रमाण	श्री दीवान

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (उपकरण) का एक अलग-अलग कम्पनी,
कार्यालय कार्यालय अभियंता (अ.उ.दा.निर्माण) संभाग, प्रतिनिधि, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Email Address: ceeht.bilaspur@cspc.co.in Ph. No. / Fax 07752-427674

संज्ञांक का अ.उ.दा./निर्माण/संभाग/ बिलासपुर, दिनांक 20/08/19

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला : रायगढ़

विषय:-छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के.वी. उपकेंद्र गोरवानी से मेसर्स इरकॉन हेतु प्रस्तावित टी. एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के.वी. डी.सी.डी.एस. लाईन तक 132 के.वी. डी.सी. डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदाय करने बाबत।


-000-

विषयांतर्गत निवेदन है कि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के.वी. उपकेंद्र गोरवानी से मेसर्स इरकॉन हेतु प्रस्तावित टी. एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के.वी. डी.सी.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है।

इस परियोजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के कुल 3.911 हेक्टेयर वनभूमि का व्यापवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। आपके जिले के अंतर्गत आने वाले 3.911 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

कृपया संलग्न विवरण के अनुसार राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदाय करने का कष्ट करें, ताकि FCA Act-1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न. उपरोक्तानुसार। ✓


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.निर्माण संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित बिलासपुर

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, अ.उ.दा. (नि.एवंसं.) वृत्त, छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित बिलासपुर।

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, रायगढ़

क्रमांक: 11405/की

मं. सं. 02/8/19

अधिकारी के हस्ताक्षर

NO	VILLAGE NAME	TEHSIL	KHASRA NO.	AREA IN (SQ M.)	AREA IN (HECTOR)
1	PALI	RAIGARH	49	428.464	0.0428464
2	PALI	RAIGARH	115	731.0603	0.07310603
3	DELARI	RAIGARH	192/1	965.8365	0.09658365
4	SARAIPALI	TAMNAR	515/1	1834.382415	0.183438242
5	SARAIPALI	TAMNAR	515/2	3549.994525	0.354999453
6	SARAIPALI	TAMNAR	495	2434.765553	0.243476555
7	BHUIKURRI	TAMNAR	27	192.8080135	0.019280801
8	BAGBUDA	TAMNAR	54/1	1321.289779	0.132128978
9	JAMDABRI	TAMNAR	76	288.9228432	0.028892284
10	JAMDABRI	TAMNAR	72/1	3690.643513	0.369064351
11	CHARRATANGAR	GHORGHODA	864	4768.971076	0.476897108
12	CHARRATANGAR	GHORGHODA	822/1	1615.927856	0.161592786
13	CHARRATANGAR	GHORGHODA	932	647.6330064	0.064763301
14	CHARRATANGAR	GHORGHODA	951	218.1933549	0.021819335
15	CHARRATANGAR	GHORGHODA	799/1	2165.545103	0.21655451
16	CHARRATANGAR	GHORGHODA	561/1	274.0144369	0.027401444
17	CHARRATANGAR	GHORGHODA	747	52.77181638	0.005277182
18	CHARRATANGAR	GHORGHODA	746	124.9238565	0.012492386
19	CHARRATANGAR	GHORGHODA	734	424.3189236	0.042431892
20	CHARRATANGAR	GHORGHODA	229	795.4462287	0.079544623
21	CHARRATANGAR	GHORGHODA	254	610.8932442	0.061089324
22	AMLIDIH	GHORGHODA	444	1682.442176	0.168244218
23	BAIHAMUDA	GHORGHODA	442	623.4530839	0.062345308
24	BAIHAMUDA	GHORGHODA	6	821.3785117	0.082137851
25	BAIHAMUDA	GHORGHODA	467	3861.906311	0.386190631
26	BAIHAMUDA	GHORGHODA	2/1	1432.203854	0.143220385
27	TERAM	GHORGHODA	665	98.26030437	0.00982603
28	TERAM	GHORGHODA	127/1	942.5009163	0.094250092
29	KARICHHAPAR	GHORGHODA	209	85.75609672	0.00857561
30	FAGURAM	GHORGHODA	531	2430.534314	0.243053431
TOTAL:-					3.911524191

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अधिकारी, रायगढ़(छ.ग.)

कमांक-4203 /अ.वि.अ/2019

रायगढ़, दिनांक- 04.09.2019

प्रति,

कलेक्टर,

(भू- अभिलेख शाखा)

जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- निर्धारित प्रारूप में प्रदर्श 'स' तथा फार्म-1 एवं अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की प्रति भेजने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 1009/भू.अ.लि/2019 रायगढ़, दिनांक 03.08.2019

--0--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि रायगढ़ जिले के अंतर्गत कुल 1.723 हे. वन भूमि कक्ष कमांक 881 के व्यपवर्तन अनुमति (गैर वानिकी प्रयोजन हेतु) प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत (लिनियर प्रकरण व्यपवर्तन हेतु फार्म-1 में) प्रमाण पत्र चाही गई है।

तदसंबंध में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदर्श 'स' एवं लीनियर प्रकरण हेतु फार्म-1 तथा अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार, समिति रायगढ़ के कार्यवाही विवरण की प्रति सहित सादर प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

पृ.कमांक- /अ.वि.अ/2019

प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक- .09.2019

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अधिकारी, रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक-

/अ.वि.अ/2019

रायगढ़, दिनांक-

.09.2019

प्रति,

कलेक्टर,

(भू- अभिलेख शाखा)

जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- निर्धारित प्रारूप में प्रदर्श 'स' तथा फार्म-1 एवं अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की प्रति भेजने बाबत।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1009/भू.अ.लि/2019 रायगढ़, दिनांक 03.08.2019

--0--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि रायगढ़ जिले के अंतर्गत कुल 1.723 हे. वन भूमि कक्षा क्रमांक 881 के व्यपवर्तन अनुमति (गैर वानिकी प्रयोजन हेतु) प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत (लिनियर प्रकरण व्यपवर्तन हेतु फार्म-1 में) प्रमाण पत्र चाही गई है।

तदसंबंध में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदर्श 'स' एवं लीनियर प्रकरण हेतु फार्म-1 तथा अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार, समिति रायगढ़ के कार्यवाही विवरण की प्रति सहित सादर प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक-09.09.2019

पृ.क्रमांक-4203 /अ.वि.अ/2019

प्रतिलिपि:-

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अधिकारी, रायगढ़(छ.ग.)

कमांक-4203 /अ.वि.अ/2019

रायगढ़, दिनांक-04.09.2019

प्रति,

कलेक्टर,

(भू- अभिलेख शाखा)

जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- निर्धारित प्रारूप में प्रदर्श 'स' तथा फार्म-1 एवं अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की प्रति भेजने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 1009/भू.अ.लि/2019 रायगढ़, दिनांक 03.08.2019

--0--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि रायगढ़ जिले के अंतर्गत कुल 1.723 हे. वन भूमि कक्ष कमांक 881 के व्यपवर्तन अनुमति (गैर वानिकी प्रयोजन हेतु) प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत (लिनियर प्रकरण व्यपवर्तन हेतु फार्म-1 में) प्रमाण पत्र चाही गई है।

तदसंबंध में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदर्श 'स' एवं लीनियर प्रकरण हेतु फार्म-1 तथा अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार, समिति रायगढ़ के कार्यवाही विवरण की प्रति सहित सादर प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

पृ.कमांक-4203 /अ.वि.अ/2019

प्रतिलिपि:-

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक-04.09.2019

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. विलासपुर द्वारा छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी. सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ जिला में वनमंडल के ग्राम पाली, देलारी गांव के राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु शासकीय वन भूमि 1.723 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि निरंक एवं/राजस्व वन भूमि 1.723 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा कमशः **ग्राम पाली एवं देलारी** तहसील रायगढ़ में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार प्रपत्र कमांक/11-9/98-एफ.सी(पी.टी.)वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहाँ विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाइप लाईन, ऑप्टिकल फाइबर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रेखिय व्यपवर्तन) के लिए ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्ताव अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 03 (1) (ई) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे. में)
1.	पाली	निरंक	निरंक
2.	देलारी	निरंक	निरंक
3.	वन कक्ष कमांक 881	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नधीन वनभूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (i) (ई) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
4. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदनों संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है। व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

नाम ()

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

Form - 1
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the Collector Raigarh

No.
.....


Date :

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Complaints of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (PT) dated 03 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project it is certified that (CSPTCL, Bilaspur) of forest land end total 02 kh.no (total Affected Area 1.723 Hact.) Total 1.723 Hact. Revenue forest land and one forest land proposed to be diverted in favour of CSPTCL, Bilaspur for diversion of Forest land in Raigarh /Pusour Tehsil it is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the total 02 kh.no. And one forest compartment 1.723 hact.(CSPTCL, Bilaspur) of Forest Area proposed for diversion. A copy of records of all consolation and meetings of the forest rights committee (S) Gram Sabha (S) Sub Division level committee (S) and the District level committee are enclosed as annexure
To.....annexure
- (b) The Division of Forest Land for Facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl : As Above.


Signature
Full Name and Official Seal
of the
Sub Division Officer

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति रायगढ़ जिला रायगढ़


// बैठक की कार्यवाही विवरण //


अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006-07 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत ग्राम पाली, देलारी गांव के राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल प्रभावित रकबा 1.723 हे. एवं वन कक्ष क्रमांक 881 कुल प्रभावित रकबा 1.723 हे. में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. बिलासपुर द्वारा छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछपर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि रायगढ़ हेतु अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति रायगढ़ जिला- रायगढ़ को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. बिलासपुर द्वारा छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की विद्यमान 132 के व्ही. उपकेन्द्र कोडतराई से प्रस्तावित एनटीपीसी लिमि. ग्राम जुर्दा जिला रायगढ़ तक 132 के व्ही. डी.सी. लाईन कार्य हेतु राजस्व भूमि का विवरण			प्रभावित वन अधिकार धारक का नाम	प्रभावित रकबा
			खसरा नं.	राजस्व	मद		
1	पाली	रायगढ़	49	0.042	राजस्व भूमि	निरक	निरक
			115	0.073			
2	देलारी		192/1	0.096	राजस्व भूमि	निरक	निरक
3	लाखा		वन कक्ष क्रमांक 881	1.512	राजस्व भूमि	निरक	निरक
योग	3	1		1.723			

प्रभावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 03/09/19 को अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रभावित भूमि पर छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की 220/130 के व्ही. उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इस्कान हेतु प्रस्तावित टी. एस. एस. कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन तक 132 के व्ही. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य ग्राम पाली, देलारी गांव के राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल प्रभावित रकबा 1.723 हे. में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुसंशा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति रायगढ़ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)



अनुविभागीय अधिकारी (वन)
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़ (छ.ग.)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यक्ष
जनपद
पंचायत जिला-रायगढ़
(छ.ग.)

क्षेत्र संयोजक अजाक
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

श्री टीकाराम प्रधान
सदस्य जनपद पं. रायगढ़,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)


श्रीमती लक्ष्मी सिदार
सदस्य जनपद पं. रायगढ़,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
जनपद पंचायत जिला-रायगढ़ (छ.ग.)